उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड

(उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 के अधीन गठित)

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, द्वितीय तल, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, निकट डायल–112 शहीदपथ, लखनऊ–226010

e-mail- upbdmfr@gmail.com

संख्याः न0वि0सं0बो0/डी0– 159 2023

लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2023

विस्तृत विज्ञप्ति (बोर्ड की वेबसाइट हेतु)

उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 में शोध अधिकारी के पद को ***सेवारत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों में से संविदा द्वारा*** भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पर पर नियुक्ति हेतु अर्हताएं एवं अन्य विवरण निम्नवत् हैं:–

शोध अधिकारी (01पद) सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान रू0 56100– 177500

(1) प्रतिनियुक्ति की स्थिति में उक्त वेतनमान में कार्यरत हों। संविदा की स्थिति में उक्त वेतनमान अथवा उच्चतर वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(2) नगर निकायों के कार्यकलापों का व्यापक अनुभवयुक्त कार्यरत ***अथवा*** सेवानिवृत्त अधिकारी हो।

(3) बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए निकायों की कार्य पद्धित का अध्ययन कर प्रपत्रों को तैयार करना, सूचना प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना तथा बोर्ड के समक्ष सुविचारित प्रस्तावों को रखने की क्षमता एवं अनुभव हो।

(4) नीति विषयक दिशा–निर्देशों एवं विनियमावली इत्यादि के निर्माण हेतु एवं बोर्ड को नगरीय निकायों के लिए प्रभावी अधिनियमों, नियमों, कानूनों, शासन के निर्देशों इत्यादि की सम्यक् जानकारी देने हेतु समर्थ एवं जानकार हो।

(5) कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के उपयोग का सामान्य ज्ञान हो।

संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति प्रथमतया 01 वर्ष के लिए होगी जिसे सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर बोर्ड द्वारा आगे दो वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती होने पर सामान्य सिद्धान्त के अनुसार अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की सकल धनराशि को घटाते हुए तथा उस पर शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य भत्तों को जोड़कर परिलब्धियों का निर्धारण किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त पद पर उच्चतर वेतनमान के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो ऐसे अधिकारियों का बोर्ड कार्यालय मे वेतन निर्धारण संबंधित पद के लिए स्वीकृत संगत वेतनमान के अधिकतम के अंतर्गत ही किया जाएगा। सेवा की शेष शर्ते बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित होंगी।

4— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की दशा में सेवा शर्तें/परिलब्धियाँ शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होंगी। ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन—पत्र अपने वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से उनकी अनापत्ति सहित प्रेषित करेंगे।

5— उक्त विज्ञापन के आधार पर चयनित अधिकारी की नियुक्ति यथानिर्दिष्ट कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।

6— पद को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने को प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु यदि पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो पद को उपयुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों में से चयन द्वारा संविदा के आधार पर भरा जाएगा।

7— इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी वांछित प्रपत्रों, जिससे कि उनके द्वारा अर्हता पूर्ण करने की पुष्टि हो सके, के साथ अपना आवेदन पत्र सचिव, नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 को उपरोक्त पते पर स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह ***दिनांक 23 जून, 2023*** तक अवश्य प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र में अभ्यर्थीगण अपने ई मेल तथा मोबाइल नम्बर/व्हाट्सएप नम्बर का स्पष्ट उल्लेख करें तथा ई मेल को दिन—प्रतिदिन देखते भी रहें ताकि बोर्ड द्वारा साक्षात्कार या अन्य विषय पर प्रेषित जानकारी उन्हें समय से प्राप्त हो सके।

सचिव
उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड